



2026:AHC:40289-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 30065/2025

रजनीश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मोहम्मद ताहिर कुरैशी, मोहम्मद शमीम खान,
शादाब अंसारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्क के पश्चात याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह प्रकथन किया है कि वे रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. उपरोक्त कथन के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

23 फ़रवरी, 2026

केएस

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।